न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झनुं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
05/2020	धारा 91 एल.आर.एक्ट	15.01.2020	27.07.2020

उनवान सरकार बनाम चन्दगीराम पुत्र लीलाधर जाति धानक निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

–: निर्णय :–

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का श्यामपुरा मैनाना ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम मैनाना की राजकीय भूमि गै0 मु0 जोहड़ ख0 न0 403 कुल रकबा 36.36 है0 मे से 0.01 है0 पर अतिक्रमी चन्दगीराम पुत्र लीलाधर जाति धानक निवासी मैनाना ने अवैध रूप से 21 मी^{2} में टीन ढारा 21 मी^{2} में सीमेन्ट ढारा, 7 मी^{2} मे शौचालय व चार दीवारी बनाकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी द्वारा उपस्थित होकर जबाव पेश किया गया, जो शामिल किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया । अतिकमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिकमी द्वारा राजकीय भूमि में 21 मी^{2} में टीन ढारा 21 मी^{2} में सीमेन्ट ढारा, 7 मी^{2} में शौचालय व चार दीवारी बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से 21 मी^{2} में टीन ढारा 21 मी^{2} मे सीमेन्ट ढारा, 7 मी^{2} में शौचालय व चार दीवारी बनाकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान /– का अतिक्रमण शुदा भूमि लगान 1.00 की 50 गुणा जुर्माना राशि 50/– बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0 अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2020 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

रा.ले. सं. 4 वर्ष 2020-21 के पृ.सं. 72
पर 50/- की मांग कायम की गई।

(लक्ष्मीनारायण यादव)
नायब तहसीलदार बुहाना

Suman
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बुहाना

Scanned with CamScanner